संख्या-85/2026-1437-002-5-9002-001-3-2026

प्रेषक,

रवि रंजन,
विशेष सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

महानिदेशक,
परिवार कल्याण,
उत्तर प्रदेश।

चिकित्सा अनुभाग-9 लखनऊ: दिनांक 11 सितम्बर, 2026

विषय:- एस0एन0ए0-स्पर्श व्यवस्था के अन्तर्गत भारत सरकार द्वारा वित्तीय वर्ष 2026-27 में राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन कार्यक्रम अन्तर्गत 60/2026-898-001-5-9002-001-3-2026, दिनांक 30.05.2026 द्वारा 26 मशीनें और सज्जा/उपकरण और संयंत्र के अन्तर्गत निर्गत शासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति को पुनर्विनियोग के माध्यम से 24-वृहत निर्माण कार्य में प्राविधानित किये जाने के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या-प0क0/4-बजट/अनुदान सं0 83/पुन0/2026-27/1437, दिनांक 12.08.2026 द्वारा किये गये अनुरोध के क्रम में सम्यक विचारोपरान्त मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वर्तमान वित्तीय वर्ष 2026-27 में राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन कार्यक्रम के अन्तर्गत शासनादेश संख्या-60/2026-898-001-5-9002-001-3-2026, दिनांक 30.05.2026 के अन्तर्गत अनुदान संख्या-83 पूंजी लेखा 4211-परिवार कल्याण पूंजीगत परिव्यय, 789 अनुसूचित जातियों के लिये विशेष घटक योजना, 02-राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन, 0201-चिकित्सालयों का सुदृढीकरण (के.60/रा.40-के.रा) 26-मशीनें और सज्जा/उपकरण और संयंत्र मद में निर्गत धनराशि रू0 8118.33 लाख (रूपये इक्यासी करोड अठ्ठारह लाख तैंतीस हजार मात्र) को अनुदान संख्या-83 पूंजी लेखा 4211-परिवार कल्याण पूंजीगत परिव्यय, 789 अनुसूचित जातियों के लिये विशेष घटक योजना, 02-राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन, 0201-चिकित्सालयों का सुदृढीकरण (के.60/रा.40-के.रा) 24-वृहत निर्माण कार्य मद में स्थानान्तरित कराते हुये संलग्न बी0एम-9 के अनुसार पुनर्विनियोग के माध्यम से आपके निवर्तन पर निम्नलिखित शर्तों/प्रतिबन्धों के अधीन रखे जाने की राज्यपाल महोदया सहर्ष स्वीकृति प्रदान करती है:-

(1) महानिदेशक, परिवार कल्याण, उ0प्र0 द्वारा वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय-ज्ञाप दिनांक 28 मार्च, 2026 में उल्लिखित दिशा-निर्देशों का पूर्ण अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

(2) बजट प्राविधान के सापेक्ष धनराशि की उपलब्धता का दायित्व महानिदेशक, परिवार कल्याण, उ0प्र0 का होगा। वित्तीय स्वीकृति का आदेश महानिदेशक, परिवार कल्याण, उ0प्र0 द्वारा बजट प्राविधान के सापेक्ष अवशेष धनराशि की उपलब्धता की स्थिति में ही निर्गत किया जायेगा।

(3) जिस मद से पुनर्विनियोग प्रस्तावित किया गया है, उस मद में अतिरिक्त धनराशि की माँग महानिदेशक, परिवार कल्याण, उ0प्र0 द्वारा वित्तीय वर्ष 2026-27 में नहीं की जाएगी।

(4) प्रश्नगत धनराशि का उपयोग योजना में दिये गये प्रयोजना पर किया जाएगा। उक्त के साथ ही प्रश्नगत योजना की गाइडलाइन/दिशा-निर्देशों में दी गयी शर्तों/प्रतिबंधों का पूर्ण अनुपालन किया जाएगा। किन्ही अन्य कार्य-मदों पर धनराशि का व्यय अथवा व्यावर्तन अनुमन्य नहीं है।

(5) पुनर्विनियोग के माध्यम से की गयी मांग की धनराशि के आंकलन/शुद्धता/सत्यता के सम्बन्ध में महानिदेशक, परिवार कल्याण, उ0प्र0 स्वंय संतुष्ट हो लेंगे।

(6) अगर प्रश्नगत प्रकरण में कोई वित्तीय अनियमितता होती है, तो उसके लिए महानिदेशक, परिवार कल्याण, उ0प्र0 स्वंय उत्तरदायी होंगे।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।
http://shasanadesh.up.gov.in

(7) यह सुनिश्चित किया जाएगा कि अवमुक्त की जा रही इस धनराशि की वित्तीय स्वीकृति पूर्व में निर्गत नहीं की गयी है तथा धनराशि का कोषागार से आहरण इसके पूर्व नहीं किया गया है।

(8) महानिदेशक, परिवार कल्याण, उ0प्र0 द्वारा इस योजना के लिए पूर्व में स्वीकृत/अवमुक्त धनराशि का उपयोगिता प्रमाण-पत्र प्राप्त कर यह सुनिश्चित कर लेंगे कि धनराशि का उपयोग नियमानुसार इस योजना हेतु भारत सरकार द्वारा जारी दिशा-निर्देशों के अनुसार योजना के प्रयोजन पर व्यय किया गया है।

(9) महानिदेशक, परिवार कल्याण, उ0प्र0 द्वारा यह सुनिश्चित किया जायेगा कि प्रश्नगत धनराशि का उपयोग भारत सरकार द्वारा दिए गए दिशा-निर्देशों के अनुक्रम में किया जाय।

(10) स्वीकृत धनराशि का पूर्ण उपभोग वर्तमान वित्तीय वर्ष 2026-27 में दिनांक 31 मार्च, 2027 तक कर लिया जायेगा।

2- इस संबंध में होने वाला व्यय रुपये 81,18,33,000 (रुपये इक्यासी करोड़ अठारह लाख तैंतीस हजार मात्र) को चालू वित्तीय वर्ष 2026-27 के आय-व्ययक मे अनुदान संख्या 083 लेखा शीर्षक 4211007890201 चिकित्सालयों का सुदृढ़ीकरण (के.60/रा.40-के.+रा.) मानक मद 24 वृहत् निर्माण कार्य के नामे डाला जायेगा।

3- यह आदेश वित्त (आय- व्ययक) अनुभाग- 1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या- 4/2026/बी-1-812/दस-2026-231/2026, दिनांक-28-मार्च, 2026 में प्रशासकीय विभाग को उक्तवत प्रतिनिधानित अधिकार के अंतर्गत निर्गत किये जा रहे है।

भवदीय,

रवि रंजन

विशेष सचिव

संख्या-85/2026-1437(1)/002-5-9002-001-3-2026, तद्दिनांक।

1- महालेखाकार (प्रथम/द्वितीय), उत्तार प्रदेश, (इलाहाबाद) प्रयागराज।
2- महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी), उत्तर प्रदेश, (इलाहाबाद) प्रयागराज ।
3- मिशन निदेशक, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, उत्तर प्रदेश।
4- निदेशक, वित्तीय सांख्यकीय निदेशालय, जवाहर भवन, लखनऊ।
5- मुख्य कोषागार, जवाहर भवन, लखनऊ।
6- वित्त नियंत्रक, परिवार कल्याण/ राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, उत्तर प्रदेश।
7- वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-3/वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1, उ0प्र0 शासन।
8- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

आनन्द प्रकाश

उप सचिव।

http://shasanadesh.up.gov.in

शासनादेश संख्या-85/2026-1437-002-5-9002-001-3-2026, तद्दिनांक।

बी एम-9 (भाग - 1)

पुनर्विनियोग के लिए आवेदन / स्वीकृति

(संदर्भ : बजट मैनुअल का प्रस्तर- 158)

A005-20262027-5-9002-001-3-2026

विषय:- एस0एन0ए0-स्पर्श व्यवस्था के अन्तनर्गत भारत सरकार द्वारा वित्तीय वर्ष 2026-27 में राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन कार्यक्रम अन्तर्गत 60/2026-898-001-5-9002-001-3-2026, दिनांक 30.05.2026 द्वारा 26 मशीनें और सज्जा/उपकरण और संयंत्र के अन्तर्गत निर्गत शासकीय एवं वित्ती2य स्वी कृति को पुनर्विनियोग के माध्यम से 24-वृहत निर्माण कार्य में प्राविधानित किये जाने के संबंध में।

निम्नलिखित निधियो से प्रस्तावित संक्रमण

अनुदान संख्या	लेखाशीर्ष	मानक मद	आवेदन पत्र देने के दिनांक पर उपलब्ध अनुदान / विनियोग	आवेदन पत्र देने के दिनांक पर उपलब्ध बचत	संक्रमित की जाने वाली धनराशि	वित्त विभाग द्वारा संक्रमण हेतु अनुमोदित धनराशि	संक्रमण के पशचात् शेष अनुदान / विनियोग	वित्तीय वर्ष
083	4211007890201 (चिकित्सालयों का सुदृढ़ीकरण (के.60/रा.40-के.+रा.))	26 (मशीनें और सज्जा /उपकरण और संयंत्र)	1,78,86,00,000 रुपये एक अरब अठहत्तर करोड़ छियासी लाख मात्र	97,67,67,000 रुपये सत्तानबे करोड़ सड़सठ लाख सड़सठ हजार मात्र	81,18,33,000 रुपये इक्यासी करोड़ अठारह लाख तैंतीस हजार मात्र	81,18,33,000 रुपये इक्यासी करोड़ अठारह लाख तैंतीस हजार मात्र	97,67,67,000 रुपये सत्तानबे करोड़ सड़सठ लाख सड़सठ हजार मात्र	2026-2027
कुल					₹ 81,18,33,000	₹ 81,18,33,000		

निम्नलिखित निधियो मे प्रस्तावित संक्रमण

अनुदान संख्या	लेखाशीर्ष	मानक मद	वित्तीय वर्ष के लिए उपलब्ध / विनियोग	संक्रमण हेतु प्रस्तावित धनराशि	वित्त विभाग द्वारा अनुमोदित संक्रमण की धनराशि	संक्रमण के पशचात् उपलब्ध अनुदान / विनियोग	वित्तीय वर्ष
083	4211007890201 (चिकित्सालयों का सुदृढ़ीकरण (के.60/रा.40-के.+रा.))	24 (वृहत् निर्माण कार्य)	0 शून्य	81,18,33,000 रुपये इक्यासी करोड़ अठारह लाख तैंतीस हजार मात्र	81,18,33,000 रुपये इक्यासी करोड़ अठारह लाख तैंतीस हजार मात्र	81,18,33,000 रुपये इक्यासी करोड़ अठारह लाख तैंतीस हजार मात्र	2026-2027
कुल				₹ 81,18,33,000	₹ 81,18,33,000		

कृपया उपरोक्त प्रस्ताव पर निम्नलिखित शर्तो के अधीन प्रशासनिक विभाग को अनुमोदन देना चाहे :-

(1) वित्त विभाग के कार्यालय ज्ञाप दिनांक 28.03.2026 में उल्लिखित दिशा-निर्देशों/प्रतिबन्धों का कडाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

(2) जिस मद से पुनर्विनियोग प्रस्तावित किया गया है, उस मद में अतिरिक्त धनराशि की मांग विभाग द्वारा वित्तीय वर्ष 2026-27 में नहीं की जायेगी।

(3) स्वीकृत धनराशि का उपयोग उसी मद में किया जायेगा, जिसके लिये स्वीकृति दी गई है।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

<u>संख्या-बजट-1-74-2026-27, दिनांक- 27 अगस्त, 2026</u>

सेवा में,

महालेखाकार,
(लेखा एवं हकदारी) प्रथम,
उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।

(रवि रंजन)
विशेष सचिव।

(कपिल देव भारती)
उप सचिव।

<u>संख्या-85/2026/1437(1)-002-5-9002-001-3-2026, **तद्दिनांक।**</u>

<u>प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित</u> -:

1. महानिदेशक, परिवार कल्याण/चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, उत्तर प्रदेश।
2. मिशन निदेशक, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, उ0प्र0।
3. वित्त नियंत्रक, परिवार कल्याण/चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, उ0प्र0।
4. वित (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-3, उ0प्र0 शासन।
5. मुख्य कोषाधिकारी/कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
6. वित्त नियंत्रक, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, उ0प्र0।
7. वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1, उ0प्र0 शासन।
8. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

रवि रंजन
विशेष सचिव।

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।